


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-12-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अ6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-6-11 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनावेदकों का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किए जाने के आदेश मौजा पटवारी को दिए हैं ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में एक ओर वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा गया था दूसरी ओर विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की गई थी । आलोच्य भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालयों के निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि आलोच्य भूमि का पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा जो अंतरण हुआ है वह वैध है और विपक्षी अवैध आधिपत्य के आधार पर भी अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं कर पाया है । ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मान्य किया गया है और तथाकथित वसीयत के बारे में यह कहा है कि वसीयत के पूर्व ही वसीयतकर्ता ने आलोच्य भूमि का विक्रय कर दिया था इस कारण वसीयत निरर्थक हो गया है । उक्त निष्कर्षों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में और उसमें कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है ।</p> <p>परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्षों को सूचना दी जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये ।</p>	<p style="text-align: right;">                       सदस्य                 </p>

